

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]

दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 28, 2013/कार्तिक 6, 1935

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 160

No. 168]

DELHI, MONDAY, OCTOBER 28, 2013/KARTIKA 6, 1935

[N.C.T.D. No. 160

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पुरातत्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2013

सं.फा. 3 (19)/2013/मोन/1137.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अधिसूचना सं. फा. 3 (14)/2009मोन/भाग (iii)/149 दिनांक 22 जनवरी, 2010 द्वारा दिल्ली पुरातन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 9) के अधीन सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न स्थल मानचित्र तथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरवेश शाह की मस्जिद, डी.डी.ए. पार्क, नजदीक सीरी फोर्ट आडिटोरियम, खेल गांव को संरक्षित करने के अपने आशय की अधिसूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपियाँ उक्त स्मारक पर एवं इनके निकट सहज दृश्य स्थानों पर चिपका दी गई थी तथा उक्त स्मारक में रुचि लेने वाले सभी व्यक्तियों से इनको संरक्षित घोषित करने से संबंधित आपत्तियाँ एवं सुझाव, राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना को जारी किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर आमंत्रित की गई थी;

और जबकि उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतिलिपि दिनांक 22 जनवरी, 2010 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और जबकि उक्त प्रस्ताव के लिये जनता से प्राप्त आपत्तियाँ एवं सुझावों पर इस सरकार द्वारा विचार किया गया;



अतः अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली पुरातन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 9) की धारा 4 की उप-धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इसके साथ संलग्न उक्त स्थल मानचित्र तथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरवेश शाह की मस्जिद, डी.डी.ए. पार्क, नजदीक सीरी फोर्ट आडिटोरियम, खेल गांव को संरक्षित घोषित करती है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली पुरातन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 9) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इसके साथ संलग्न उक्त स्थल मानचित्र तथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्मारक से पचास मीटर तक का क्षेत्र संरक्षित स्मारक के समीप या इससे लगी हुई भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण एवं उत्खनन गतिविधियों के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित करती है तथा इसके अतिरिक्त इससे परे एक सौ मीटर तक का क्षेत्र विनियमित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है, जिसके निर्माण एवं उत्खनन गतिविधियों केवल सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रारम्भ की जा सकती हैं और इस विधेयक के अंतर्गत बनाए गये नियमों के अधीन होंगी।

4568 DG/2013

(1)

दरवेश शाह की मस्जिद, डी. डी. ए. पार्क, सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम के नजदीक, खेल गांव का स्थल मानचित्र



आख्यान
संरक्षण के लिए प्रस्तावित प्रदर्शित क्षेत्र
सभी माप मीटर में हैं



अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	इलाका	स्मारक का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	स्वामित्व	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दिल्ली	दक्षिण	हौजखास	शाहपुर जट	दरवेश शाह की मस्जिद	1 मिन	512 वर्ग मी.	सरकार	उत्तर : डी.डी.ए. पार्क एवं बलबीर सक्सेना मार्ग पूर्व : रास्ता एवं-बलबीर सक्सेना मार्ग दक्षिण : पार्क पश्चिम : पार्क एवं रास्ता

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, विजेन्द्र सिंह रावत, निदेशक (पुरातत्व)

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

NOTIFICATION

Delhi, the 28th October, 2013

No. F. 3(19)/2013/Monu./1137.—Whereas the Government of the National Capital Territory of Delhi vide Notification No. F.3(14)/2009/Mon./Vol (iii)/49 dated 22nd January, 2010 issued under sub-section (1) of section 4 of the Delhi Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2004 (Delhi Act 9 of 2005) notified its intention to declare the Mosque of Darwesh Shah at DDA Park near Siri Fort Auditorium, Khel Gaon as specified in the Schedule and the Site Plan annexed thereto, to be protected monument and copies of aforesaid notification were affixed in conspicuous places on and near the said monument, inviting objections and suggestions from all persons likely to be interested in any such monument, within a period of two months from the date on which the copies of the Gazette pertaining to the said notification was made available to the public;


And whereas the copy of the said Gazette was made available to the public on 22nd January, 2010;

And whereas objections and suggestions received from the public to the said proposal have been considered by this Government.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Delhi Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2004 (Delhi Act 9 of 2005), the Government of the National Capital Territory of Delhi hereby declares the Mosque of Darwesh Shah at DDA Park near Siri Fort Auditorium, Khel Gaon as specified in the Schedule and Site Plan annexed hereto, to be a protected monument for the purpose of said Act;

Further, in exercise of the powers conferred by the section 17 of the Delhi Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites Remains Act, 2004 (Delhi Act 9 of 2005), the Government of the National Capital of Delhi hereby declares an area upto fifty meters from the protected limits of the aforesaid monument specified in the Site Plan and the Schedule annexed hereto as prohibited area for any construction and mining activities near or adjoining protected monument and further beyond it up to hundred meters as regulated area in which construction and mining activities can be undertaken only after getting permission of the Government and further subject to any rules made under this Act.

SITE PLAN OF MOSQUE OF DARWESH SHAH DDA PARK, NEAR SIRI FORT AUDITORIUM, KHEL GAON



LEGEND

MONUMENT PROPOSED FOR PROTECTION



ALL MEASUREMENTS ARE IN METERS

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of the Monument	Khasra Number	Area	Ownership	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Delhi	South	Hauz Khas	Shahpur Jat	Mosque of Darwesh Shah	1 min	512 Sq. Mtrs	Government	North : DDA Park & Balbir Saxena Marg East : Park Pathway & Balbir Saxena Marg South : Park West : Park & Pathway

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

VIJENDRA SINGH RAWAT, Director (Archaeology)

(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2013

फा.सं. 8/31/97-न्याय/पार्ट फाईल/Suptlaw/1194-1197.—अद्यतन यथासंशोधित दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 7 (1) (क) के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से श्री सिद्धार्थ शर्मा, दिल्ली न्यायिक सेवा को दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में नियमित शक्तियों के लिए अस्थाई आधार पर उनके पद ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त/पदोन्नत करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. एस. यादव, प्रधान सचिव

(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS)

NOTIFICATION

Delhi, 28th October, 2013

No. F. 6/31/97-Judl./Pt.file./Suptlaw/1194-1197.—In pursuance of the provisions of rule 7(1)(a) of Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970, as amended up-to-date, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi is pleased to appoint/promote Mr. Sidharth Sharma, Delhi Judicial Service to Delhi Higher Judicial Service on temporary basis from the date he assumes charge, against a regular vacancy.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. S. YADAV, Principal Secy.

राजस्व विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2013

सं. एफ. 2V(108)/राज.-स्था./2272.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 फरवरी, 1977 की अधिसूचना संख्या यू. 11030/एस/76-यूटीएल के साथ पठित सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल, नई दिल्ली नगर परिषद के निदेशक (शिक्षा), निदेशक (सरकारी स्थान), निदेशक (कल्याण) और उपविधि अधिकारी सरकार के राजपत्रित अधिकारी, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पदा अधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त अधिकारी नई दिल्ली नगर परिषद नई दिल्ली से सम्बन्धित सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी को सौंपी गई सारी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सौंपे गए सारे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

4568 DG/13-2